न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/23 निर्णय दिनांकः– 06-02-2025
(जीसीएमएस संख्या 2023/5)

1. अर्जुनसिंह पुत्र मूणसिंह जाति राजपूत निवासी 5 पी एस एम तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।

रेस्पोडेन्ट

**अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30–04–2014**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ मुकाम बज्जू**

उपस्थितिः–

1. श्री हरीकिशन उपाध्याय, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ मुकाम बज्जू के आदेश दिनांक 30–04–2014 जिसके द्वारा अपीलांट को मिडियम पेच में आवंटित भूमि का आंवटन निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 5 पी एस एम के मुरब्बा नम्बर 163/44, 45 , 46, 47, 38 में भूमि स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मुरब्बे में ही मुरब्बा नम्बर 163/44 के किला नम्बर 14 ता 23 एवं 25 की 11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि मिडियम पेच आवंटन हेतु उपलब्ध थी। जिसके आवंटन की वरियता अपीलांट् की होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वादगत भूमि का आंवटन अपीलांट को दिनांक 07–03–2014 को किया गया एवं अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की 25 प्रतिशत राशि भी दिनांक 14–03–2014 को जमा करवा दी गई।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण दिनांक 30–04–2014 को सुओ मोटो रिव्यू किया जाकर एकतरफा तौर पर अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन खारिज कर दिया गया। अदालत मातहत ने अपने अपीलाधीन आदेश में वादगत भूमि का 13 ए के तहत विशेष आवंटन हेतु आरक्षित होने का हवाला दिया गया मगर अदालत मातहत ने अपने द्वारा किये गये आवंटन से पूर्व जो रिपोर्ट मंगवाई गई थी उक्त रिपोर्ट में भी वादगत भूमि को 13 ए हेतु आरक्षित होना वर्णित किया गया था। मगर राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा वादगत भूमि को विशेष आवंटन के गजट से मुक्त किया जाकर सामान्य आवंटन हेतु उपलब्ध होने का निर्णय पारित किया गया था। वादगत भूमि सामान्य आवंटन हेतु उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। जैर अपील आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर पारित अपीलाधीन आदेश हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित आदेश होने से मियांद अधिनियम उक्त अपीलाधीन आदेश में बाधक नहीं है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। अपीलांट द्वारा वादगत भूमि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवाने के पश्चात अपीलांट वादगत भूमि का आवंटन आदेश प्राप्त करने जब आवंटन अधिकारी के कार्यालय पहुंचा तब अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी हुई एवं अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रथम जानकारी के दिनांक के अपील अंदर मियांद प्रस्तुत करने से अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–04–2014 के विरूद्ध दिनांक 25–11–2022 को अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट तौर पर मियांद बाहर होने से अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 07–03–2014 को सुओ मोटो रिव्यू किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन अपीलांट को किये जाने के पश्चात स्वयं अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश को रिव्यू किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन निरस्त किया है। वादगत भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित होने से अपीलांट को मिडियम पेच आवंटन के तहत आवंटित नहीं की जा सकती है। अपीलांट को आवंटन नियमों के विरूद्ध आवंटित भूमि का आंवटन निरस्त किया जा चुका है ऐसे में अपीलांट वादगत भूमि पाने का अधिकारी नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक मियादं का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–04–2014 के विरूद्ध अपील दिनांक 25–11–2022 को प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के कथनों में अंकित किया गया है कि जैर अपील आदेश एकतरफा तौर पर जारी होने से अपीलाधीन आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है एवं अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी के दिनांक से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की गई है ऐसे में अपील अंदर मियांद शुमार की जावे जबकि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि प्रस्तुत अपील मियांद बाहर प्रस्तुत किये जाने के कारण अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य होने से अपील खारिज फरमाई जावे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां प्रकरण न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विपरीत पारित किया गया है ऐसे प्रकरण में तकनीकी बिन्दुओं को गौण रखते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र जिसके काउण्टर में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को दरकिनार किया जाकर अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

(2) प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट को वादगत भूमि का आवंटन अदालत मातहत द्वारा मिडियम पेच आवंटन के तहत किया गया था। जिस पर अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की 25 प्रतिशत राशि भी तय अवधि में जमा करवा दी गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को किया गया आवंटन रिव्यू किया जाकर वादगत भूमि का आवंटन निरस्त किया है। इस संबंध में पत्रावली पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 8109 दिनांक 03—10—2018 द्वारा विशेष आवंटन में आरक्षित की गई कुछ भूमियों को विशेष आवंटन की श्रेणी से मुक्त किया जाकर सामान्य आवंटन हेतु उपलब्ध किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त अधिसूचना में वादगत भूमि चक 5 पी एस एम के मुरब्बा नम्बर 163/44 के 11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि को भी विशेष आवंटन श्रेणी से मुक्त किया जाकर सामान्य आवंटन हेतु उपलब्ध किया गया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश का यह आधार कि वादगत भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित होने से मिडियम पेच आवंटन के तहत आवंटित नहीं की जा सकती है, पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ मुकाम बज्जू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—04—2014 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06-02-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर